अनुसूची 14– फार्म सं0 562

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक .... ता0 ....से ....तक

जिला —

केस का प्रकार— जमाबंदी निरस्तीकरण वाद संख्या ..07/21-22

आदेश और तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बा टिप्पणी ता0 स
17/7/21	माननीय उच्च न्यायालय, के वाद संख्या W.P. (PIL) No. 1463/2020 एवं W.P. (PIL) No. 1911/2020 के आलोक में काँके अंचल अन्तर्गत गेतलसुद डैम का संयुक्त मापी अंचल अमीन/राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं विरेन्द्र प्रसाद, इन्द्रजीत राय तथा कर्मवारी सिंह, कनीय अभियन्ता जल पथ प्रमण्डल के द्वारा किया गया। टीम के द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा मेसरा खाता संख्या 165 प्लॉट संख्या 2435 कुल रकबा 1.28 एकड़ भूमि अर्जित है। जिसपर अतिक्रमण पाया गया। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से प्रतिवेदन की माँग करें। अभिलेख दिनांक 24/7/21 को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी 17/7/21 काँके, राँची।	
24/7/21	राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि खाता संख्या 165 प्लॉट संख्या 2435 रकबा 32 डीसमील भूमि की जमाबंदी भिखन देवी पति– सहजानन्द महतो के नाम से पंजी ।। के भाग संख्या 8 पृष्ठ संख्या 7 में दर्ज है एवं संबंधित प्राधिकार कॉलम में दाखिल खारिज वाद संख्या 2726R27/2011-12 एवं आदेश दिनांक 17.06.2011 द्वारा पृष्ट संख्या 146/1 से लाया गया दर्ज है। साथ ही जिला–भूअर्जन पदाधिकारी, राँची के पत्रांक 1159(ii) दिनांक 22-07-2021 द्वारा स्पष्ट है कि उक्त भूमि अर्जित है। राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने जमाबंदी को निरस्त करने हेतु अनुशंसा किया है। जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत करें। अंचल अधिकारी, 24/7/21 काँके, राँची।	
7/8/21	नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। रैयत द्वारा भूमि संबंधी दस्तावेज/कागजात प्रस्तुत किया गया। जिसमें रैयत द्वारा निबंधित पट्टा, शुद्धि पत्र	

Scanned with CamScanner

तथा लगान रसीद संलग्न किया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि 2011 में मेरे द्वारा क्रय किया गया था।

अंचल अधिकारी,
काँके, राँची।

12/8/21.

जलपथ प्रमण्डल के पत्रांक 21 दिनांक 11.01.2021 के द्वारा उपलब्ध कराये गये L.A. Plan के आधार पर मापी की गई, जिसमें अतिक्रमण पाया गया। नक्शा प्राप्त होने के उपरान्त मापी कराई गई। अमीन प्रतिवेदन/राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन एवं जिला–भूअर्जन पदाधिकारी, राँची के पत्रांक 1159(ii) दिनांक 22-07-2021 के आलोक में स्पष्ट है कि भूमि अर्जित है। ज्ञातव्य हो कि सभी जलश्रोतों से अतिक्रमण हटाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सख्त निर्देश प्राप्त है एवं उनके द्वारा स्वयं इसकी निगरानी की जा रही है।

अतः पंजी ।। के भाग 8 पृष्ट संख्या 8 में खाता संख्या 165 प्लॉट संख्या 2435 रकबा 32 डीसमील की जमाबंदी रैयत भिखन देवी पति सहजानन्द महतो के नाम से कायम जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, सदर, राँची को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी,
काँके, राँची

अंचल अधिकारी,
काँके, राँची

Scanned with CamScanner

सेवा में,

अंचल अधिकारी,
काँके, राँची।

विषय : जमाबंदी रद्द करने के संबंध में जाँच प्रतिवेदन।

महाशय,

उक्त विषय के संदर्भ में प्रतिवेदित करना है कि माननीय उच्च न्यायालय, राँची में दायर जनहित याचिका W.P (PIL) No. 1463/2020 एवं W.P (PIL) No. 1911/2020 के आलोक में गेतलशुद जलाशय अन्तर्गत अर्जित भूमि में अतिक्रमण चिन्हित करने हेतु अंचल अमीन एवं जल पथ प्रमण्डल, राँची के कनीय अभियन्ता श्री विरेन्द्र प्रसाद, इन्द्रजीत रॉय, कर्मवीर सिंह, के द्वारा दिनांक 08.02.2021 को मौजा मेसरा, रूदिया एवं सुगनू के विभिन्न प्लॉटों की संयुक्त नापी कराई गई। जाँच प्रतिवेदन में मौजा मेसरा के खाता संख्या 165 प्लॉट संख्या 2439 में अतिक्रमण होने की बात प्रकाश में आई। इस कार्यालय के पत्रांक 552(II) दिनांक 19.07.2021 द्वारा उक्त प्लॉट के गेतलशुद जलाशय योजनान्तर्गत अधिग्रहित होने के सत्यापन हेतु पत्र जिला भू–अर्जन कार्यालय, राँची को प्रेषित की गई एवं संबंधित दस्तावेज की मांग की गई। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी के पत्रांक 1159(II) दिनांक 22.07.2021 द्वारा उक्त प्लॉट के गेतलशूद जलाशय योजनान्तर्गत अर्जित होने का सत्यापन किया गया। उक्त प्लॉट का राजस्व दस्तावेजों से मिलान करने पर पाया कि पंजी II के भाग 8 के पृष्ट संख्या 7 में खाता संख्या 165 प्लॉट संख्या 2435 रकबा 32 डीसमील की जमाबंदी रैयत भिखन देवी पति सहजनाथ महतो के नाम से दर्ज है, एवं संबंधित प्राधिकार कॉलम में "दा०खा० वाद संख्या–2726आर27/2011–12" एवं आदेश दिनांक 17.06.2011 द्वारा पृष्ट 146/1 से लाया गया" दर्ज है।

अतः जिला भू–अर्जन पदाधिकारी के पत्रांक 1159(II) दिनांक 22.07.2021 द्वारा स्पष्ट है कि मौजा मेसरा के खाता संख्या 165 प्लॉट संख्या 2439 अर्जित भूमि है। उक्त के आलोक में पंजी II के भाग 8 पृष्ठ संख्या 7 में रैयत भिखन देवी पति सहजनाथ महतो की जमाबंदी रद्द की जा सकती है।

विश्वासभाजन

Scanned with CamScanner

सेवा में,
श्रीमान् अंचल अधिकारी महोदय
कांके, रांची

विषय :– गेतलसूद जलाशय योजना अन्तर्गत अधिग्रहित भूमि पर अतिक्रमित भूमी का स्थल जाँच प्रतिवेदन :–

महाशय,
उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में कार्यालय ज्ञापांक 88(ii) दिनांक 06/02 के आदेशानुसार मौजा- चुटाहू, मेसरा एवं रुदिया में रा० उप० नि० प्र० अ० नि० एवं जल पथ प्रमण्डल, रांची के कनीय अभियन्ता श्री वीरेंद्र प्रसाद, इन्दरजीत राम, कर्मवीर सिंह कि उपस्थिति में सामुहिक रूप से C.A. PLAN (अधिग्रहित कि गई भूमि का नक्शा) के आधार पर स्थल जाँच एवं मापी किया। मापी में पाए गए अतिक्रमित रैयतो कि सुची निम्नवत है :—

मौजा	प्लॉट नं०	क्षेत्रफल (लगभग)	संरचना	अतिक्रमित व्यक्ति का नाम / प०
मेसरा	2437 / 2433	44 डी०	पक्का मकान एवं चाहारदिवारी	(1) कजरु मुण्डा (2) श्री रानी सति इं० प्राइवेट - मेसरा
मेसरा	2435 - / 2439 -	40 डी० / 20 डी०	(पक्का मकान / चाहारदिवारी / एसबेस्टस मकान)	(1) सहजनाथ महतो (2) सुरेन्द्र महतो (3) सोहन महतो (4) मोहन महतो — पिता स्व० [illegible] महतो
मेसरा	2439	05 डी०	एसबेस्टस मकान	मो० मोईन पिता स्व० हल [illegible] सा० मेसरा

अतिक्रमित खेसरा नं० छोड कर शेष खेसरा नं० में अतिक्रमण नहीं पाया गया। तथा मौजा चुटाहू एवं रुदिया में अधिग्रहित कि गई भूमि वर्तमान में खाली एवं परती है। अतः अग्रेतर कार्रवाई हेतु अग्रसारित,

कनीय अभियंता
जलपथ प्रमण्डल रांची।
V Prasad
8.2.21

रा० उप० नि०
प्र० अ० नि०

अंचल निरीक्षक

J.E.
J.E.

अंचल अधिकारी
कांके
[illegible]/21

Digitally signed by DIWAKARPRASAD CHANDRIKAPRASAD DWIVEDI
Date: 2023.05.23 17:04:17 +05:30
Location: 192.168.29.226

Scanned with CamScanner